राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY,
खनिज भवन/Khanij Bhavan उदयपुर/Udaipur.313001
दूरभाष/Phones: 0294–2415091–95 /0294- 2413346
Email : dmg.mg@rajasthan.gov.in

क्रमांक : निदे/प–2/कास/नियम/2017/1451 – 1512 दिनांक –08.08.2018

1. अतिरिक्त निदेशक खान, जयपुर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर
2. अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/जोधपुर/उदयपुर/भीलवाड़ा/राजसमंद/कोटा/भरतपुर/बीकानेर।
3. खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर/अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी–I/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/नागौर/सोजत/उदयपुर/राजसमन्द–I/II/आमेट/भीलवाडा/चित्तोडगढ/प्रतापगढ/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर।
4. सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/सलूम्बर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/रूपवास/हनुमानगढ/चुरू/नीमकाथाना/सावर।

विषयः–खातेदारी भूमि में खनिज रियायत हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों के निस्तारण बाबत् गाईडलाईन ।

विषयान्तर्गत लेख है कि शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 25.06.2018 से खातेदारी भूमि में 4.00 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक के खनन पट्टा/क्वारी लाइसेन्स, आवेदन–पत्रों के आधार पर फिक्स प्रीमियम पर आवंटित करने हेतु प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों के त्वरित एवं पारदर्शिता के साथ निस्तारण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावें:–

1. आवेदकों द्वारा आवेदन–पत्र केवल ऑनलाईन प्रस्तुत किये जावेंगे (संलग्न परिशिष्ठ में वर्णित अनुसार) जिसकी प्राप्ति रसीद भी ऑनलाईन ही आवेदक को स्वतः जनरेट होकर प्राप्त होगी।
2. आवेदन–पत्रों की प्रोसेसिंग आवेदन पत्र प्राप्ति की वरीयता के अनुसार की जायेगी।
3. आवेदन–पत्र ऑन–लाईन प्राप्त होने के 7 दिवस में फिल्ड स्टाफ द्वारा आवेदक की उपस्थिति में हल्का पटवारी के साथ मौके पर आवेदित क्षेत्र के लिए सीमांकन किया जायेगा। आवेदक द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में चाहे जाने वाले क्षेत्र के कॉरनर पॉईन्ट्स बताये जायेगें जिसकी पुष्टि हल्का पटवारी द्वारा की जायेगी कि उक्त सभी पॉईन्ट्स आवेदक की खातेदारी भूमि में अमुक खसरे में आते है। फिल्ड स्टाफ द्वारा उसी समय उन कॉरनर पॉइन्ट्स के लेटिट्यूड व लोन्गिट्यूड लिये जायेगें। इसके अलावा फिल्ड स्टाफ द्वारा पटवारी के खसरा नक्शे में दो मुस्तकिल बिन्दुओं जैसे कुंआ इत्यादि के भी लेटिट्यूड व लोन्गिट्यूड लिये जायेगें। उक्त की मौका रिपोर्ट बनाई जायेगी जिस पर आवेदक एवं हल्का पटवारी के हस्ताक्षर लिये जायेगें। आवेदक को पाबंद किया जायेगा कि वह हल्का पटवारी से मुस्तकिल बिन्दुओं को घेरते हुए खसरा ट्रेस की मूल प्रति कार्यालय में तीन दिवस में प्रस्तुत करे।
4. सीमांकन के पश्चात्–

(अ) मानचित्रकार द्वारा क्षेत्र रिक्तता, अरावली, वन सीमा से दूरी, खसरा सूपर ईम्पोजिशन इत्यादि के संबंध में स्कूटनी कर 7 दिवस में रिपोर्ट की जायेगी।

(ब) मानचित्रकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में क्षेत्र रिक्त नहीं होने अथवा अन्य कमी होने पर आवेदक को संशोधित मानचित्र मय लेटिट्यूड एवं लोन्गिट्यूड प्रस्तुत करने हेतु खनि अभियन्ता द्वारा 3 दिवस में लिखा जायेगा।

(स) क्षेत्र स्वीकृति योग्य बताया जाने पर खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक/भूवैज्ञानिक के साथ आवेदक की उपस्थिति में 7 दिवस में क्षेत्र का मौका निरीक्षण कर खनिज उपलब्धता एवं ईको–फ्रेण्डली के बिन्दुओं बाबत् मौके पर जॉच की जावेगी।

5. वन पुष्टि करवाया जाना आवश्यक होने पर (प्रमाणित जी.टी. शीट से 500 मीटर से कम दूरी पर आवेदित क्षेत्र स्थित होने पर), पूर्व सीमांकन होने के अधिकतम 03 दिन में आवेदक को वन विभाग का निर्धारित शुल्क जमा करवाने हेतु लिखा जावेगा जिसके जमा होने पर आवश्यक पत्रादि वन विभाग को अधिकतम 03 दिवस में प्रेषित किये जावें।

6. क्षेत्र स्वीकृत योग्य पाये जाने पर खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा सक्षम अधिकारी को मंशा–पत्र जारी करने के प्रस्ताव सीमांकन रिपोर्ट प्राप्त होने/वन विभाग से पुष्टि प्राप्त होने के अधिकतम 07 दिवस में प्रेषित किये जावें।

7. सक्षम अधिकारी द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति हेतु मंशा–पत्र के प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 07 दिवस में मंशा पत्र जारी किया जावें।

8. खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा आवेदन–पत्र के ऑन–लाईन प्राप्ति तिथि से अधिकतम 2 माह में (वन पुष्टि के प्रकरणों को छोड़ते हुए) मंशा–पत्र के प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को प्रेषित नहीं करने पर प्रकरणवार कारण दर्शाते हुए सम्बन्धित अतिरिक्त निदेशक (खान) को अवगत कराया जाना होगा।

9. खनन पट्टा स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने की अधिकतम 07 दिवस की अवधि में मंशा–पत्र जारी नहीं करने पर मंशा–पत्र उनके उच्चतर अधिकारी द्वारा जारी किये जावेंगे जिसके लिये विलम्ब के कारण सहित सक्षम अधिकारी द्वारा उच्चतर अधिकारी को प्रकरण की पत्रावली अग्रेषित की जावेंगी एवं निदेशालय को सूचना प्रेषित की जावेगी।

10. आवेदक द्वारा मंशा–पत्र की ऑपचारिकताएँ पूर्ण करने पर अधिकतम 07 दिवस में स्वीकृति आदेश जारी किये जावेंगे।

नोटः–

(1) यदि खातेदारी भूमि राजस्व अभिलेख में संयुक्त खातेदारी से दर्ज है तो समस्त खातेदारों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। खनन पट्टा समस्त सह–खातेदारों के संयुक्त नाम से जारी किया जायेगा तथा खनन पट्टे की शर्तों की पालना एवं बकाया की पूर्ण राशि जमा करने का दायित्व प्रत्येक सह–खातेदार का रहेगा।

(2) आवेदन पत्र में कमी पूर्ति कराने/अस्वीकृति हेतु प्रस्तावित करने से पूर्व 30 दिवसीय नोटिस खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा जारी किया जाएगा ।

(3) आवेदक से समस्त पत्राचार ई–मेल एवं डाक द्वारा किया जायेगा।

(4) खातेदारी के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिसूचना दिनांक 25.06.2018 से पूर्व मौके पर संयुक्त सीमांकन की कार्यवाही/खनिज उपलब्धता की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर निदेशालय को नीलामी हेतु प्रस्तावित किये गये थे, परन्तु नीलामी नहीं की गई एवं अब उन्हीं प्लाटों हेतु ऑन–लाईन आवेदन प्राप्त होता है तो उनमें पूर्व सीमांकन/खनिज उपलब्धता की रिपोर्ट पुनः प्राप्त नहीं की जानी है।

उपरोक्त निर्देशों की पालना कराने की जिम्मेदारी अतिरिक्त निदेशक खान (जोन) की रहेगी। निर्देशों की अवहेलना करना पाये जाने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाये जावे।

(जितेन्द्र उपाध्याय)IAS
निदेशक

क्रमांक : निदे/प–2/कास/नियम/2017/1513 – 1514
दिनांक : 08.08.2018
प्रतिलिपि :

1. संयुक्त शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को गाइडलाइन अनुमोदनार्थ प्रेषित है।
2. डी.एम.जी.ओ.एम.एस. केन्द्रीय कार्यालय, उदयपुर को भेजकर लेख है कि खातेदारी भूमि में ऑनलाईन आवेदन–पत्र प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाईट पर मोड्युल शीघ्र तैयार करवाये।

8/8
(ओमप्रकाश काबरा)
अधीक्षण खनि अभियन्ता(मु0ाा)

परिशिष्ठ

खातेदारी भूमि में एमएमसीआर, 2017 के तहत खनन पट्टा/क्वारी लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने बाबत् गाईडलाईन

1. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट mines.rajasthan@.gov.in पर ऑन–लाईन प्रस्तुत किये जायेंगे।
2. आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क के रूप में 10,000/– रूपया ऑन–लाईन जमा कराना होगा।
3. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज की स्वप्रमाणित स्केन प्रति अपलोड़ करनी होगीः–
   (i) फोटो आई.डी. व एड्रेस प्रूफ हेतु आधार कार्ड/वोटर आई.डी. कार्ड अथवा ड्राईविंग लाइसेंस।
   (ii) पेन कार्ड अथवा जी.एस. टिन की प्रति
   (iii) आवेदित क्षेत्र जिस खसरे में आता है, उस खसरे की नवीनतम जमाबंदी।
   (iv) यदि आवेदित खसरे में एक से अधिक खातेदार हो तो ऑन–लाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले आवेदक के अतिरिक्त अन्य सह–खातेदारों द्वारा खनन पट्टा संयुक्त रूप से आवेदक के साथ लेने के संबंध में सहमति की प्रति।
   (v) आवेदक स्वयं अथवा संयुक्त रूप से आवेदित/स्वीकृत खनिज रियायतों व ठेकों के संबंध में शपथ पत्र।
   (vi) यदि आवेदक अथवा आवेदक के परिवार के पक्ष में खनिज रियायत/रॉयल्टी वसूली का ठेका प्रभावी रहा है अथवा वर्तमान में प्रभावी है तो संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालय का बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र। कम्पनी/भागीदारी फर्म के मामले में उक्त प्रमाण पत्र सभी निदेशकों/भागीदारों द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। यदि आवेदक के पक्ष में कोई भी खनिज रियायत/रॉयल्टी वसूली का ठेका प्रभावी नहीं रहा है तो आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
   (vii) भागीदारी फर्म के मामले में भागीदारी विलेख व पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन व सर्टिफिकेट ऑफ इनकोरपोरेशन की प्रति।
   (viii) भागीदारी फर्म के मामले में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पक्ष में जारी पंजीकृत पॉवर ऑफ अटोर्नी की प्रति तथा कम्पनी के मामले में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा जारी रिजोल्युशन की प्रति।

नोटः

बिन्दु संख्या 4(iii) से 4(vii) के दस्तावेजो की मूल प्रतियां एवं शेष की स्वप्रमाणित प्रतियां 15 दिवस में संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता को प्रस्तुत करने होगें ।